न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 163/21 (वाद)
GCMS No. : 2021/313

अनवान

1. श्री इन्द्रमल पिता मोतीलाल परमार जैन निवासी घासा तह. घासा।

............वादी

बनाम्

1. श्री दीपचन्द पिता नाथुलाल सुथार निवासी घासा तह. घासा।
2. श्री खुबीलाल पिता दीपचन्द सुथार निवासी घासा तह. घासा।
3. श्री बाबुलाल पिता दीपचन्द सुथार निवासी घासा तह. घासा।
4. श्री मुकेश पिता पन्नालाल सुथार निवासी घासा तह. घासा।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 17.12.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बापेर पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.3642 हेक्टेयर उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं जिस पर मै वादी अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी आधार के उपयोग उपभोग कर रहा हूं। मेरी उक्त वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण जो आपस में पिता पुत्र एवं एक ही परिवार के सदस्य होकर नाजायज रूप से मुझ वादी की जमीन को हडपने की नियत से मेरे खातेदारी एवं कब्जे की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को नाजायज तरीके से अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि से बेदखल करने पर [illegible] है और मेरे खातेदारी व कब्जे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के उपयोग उपयोग में भी निरन्तर बाधाएं उत्पन्न कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

3. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात मुझ वादी के खाते व कब्जे की है जिस पर मैं वादी अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज हो काश्त कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को उक्त जमीन से बेदखल करने पर आमादा है और मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे है और कृषि कार्य करने में भी व्यवधान पैदा कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमियों का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 15.08.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने मुझ वादी के कब्जे व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए। तब उत्पन्न हुआ उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेध[illegible] फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादीगण मुझ वादी के खाते व कब्जे की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेवे अथवा पाया जावे तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से कब्जा हटवाया जाकर कब्जा मुझ वादी को दिलाया जाकर वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर–4300 कुल किता–1 कुल रकबा 0.3642 हे. स्थित है, उक्त भूमि पर दिनांक–11.11.2019 से दीपचंद एवं पन्नालाल जी द्वारा एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88–63 एवं 188 रा०का०अधि० के तहत् प्रस्तुत किया जिसके साथ स्थगन आदेश का प्रार्थना–पत्र जिसके मुकदमा सख्या– 90/2019 रेवेन्यु वाद उनवान दीपचंद बनाम भंवरलाल जी के उनवान से आप न्यायालय में लम्बित है, दौराने वाद वादी ने बिना न्यायालय की अनुमति लिये उक्त वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से खरीदा है, जो की एक सद्भावी क्रेता नही है, इस कारण वादी को आप न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

7. यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व के खातेदार श्री भंवरलाल पिता कुका जी एवं रामलाल पिता कुका जी, गणेश पिता रामलाल जी के विरूद्ध दीपचंद पिता नाथुलाल व पन्नालाल पिता नाथुलाल जी ने आप न्यायालय में मुकदमें प्रस्तुत कर रखे है जिनके मुकदमा सख्या–151/2019 एवं 90/2019 है। जिनकी आगामी पेशी दिनांक को नियत है। उक्त वर्णित जमीन के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वर्णित आराजीयात का पूर्व में रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा था जिसके वर्तमान में आराजी नम्बर–4300 एवं 6218/4300 है, पूर्व में श्री दीपचंद एवं पन्नालाल ने उक्त जमीन पूर्व में कुका एवं जगन्नाथ जी सुथार से सम्वत् 2009 में जरिये बिकावनामें से बिकाव राशि तय 140/–रूपये सम्पुर्ण राशि की अदायगी कर कुका जी एवं जगन्नाथ जी से जमीन खरीदी थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

जमीन की लिखापढी निष्पादित करते वक्त एवं कब्जा सिपुर्द करते वक्त विक्रय की गई सम्पुर्ण जमीन के पडौस भी लिखवाये गये थें तथा उन्ही पडौसो के मध्य 03 बीघा 10 बिस्वा जमीन का कब्जा सिपुर्द किया गया व आराजी नम्बर–4300 का भी विवरण दिया गया है तथा उस समय पंजीयन के बारे में कानूनी जानकारी का अभाव होने की वजह से उक्त जमीन का पंजीयन नही हो सका, बाद में कई बार जगन्नाथ जी एवं कुका जी सुथार को पंजीयन के लिये कहा गया इस बीच कुका जी एवं जगन्नाथ जी की मृत्यु होने पर उक्त जमीन उनके वारिसो के नाम पर दर्ज हुई उसके बाद भी वारिसों को कई बार पंजीयन के लिये कहा तो वारिस टालम–टुल करते रहे जिस पर दीपचंद व पन्नालाल जी ने दिनांक 08.11.2019 को आप न्यायालय में 65 वर्षों से अधिक समय का कब्जा होने का आधार बताते हुऐ वाद अन्तर्गत धारा–88–63 (1) –188 रा०का० अधि० के तहत् प्रस्तुत किया, जिसमें उक्त जमीन के तत्कालीन खातेदार भंवरलाल पिता कुका जी, रामलाल पिता कुका जी, गणेशलाल पिता रामलाल को पक्षकार बनाया गया है जिसकी विधिवत् तामील दिनांक–10.12.2019 को हो चुकी थी। उसके बाद प्रतिवादीगणो ने चार–पांच मौके लिये तथा उसके उपरान्त भी आज दिनांक तक कोई जवाब नही दिया, इसी बीच वादी जो की एक भूमि दलाल है जिसने विवादग्रस्त जमीन का विवरण देते हुऐ प्रतिवादीगणो को अधिक धन का लालच देकर उक्त जमीन को खरीद ली, जबकि पूर्व के बिकावनामे व उक्त दावे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही विक्रय करने से पूर्व भंवरलाल, रामलाल व गणेश ने न्यायालय के समक्ष विक्रय की आज्ञा हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय से झूठ बोल उक्त जमीन चोरी–छिपे विक्रय कर दी, जिस कारण अवैध रूप से विक्रय हस्तान्तरण से वादी को हम प्रतिवादीगण जो की 65 वर्षों से अधिक समय से उक्त जमीन पर कब्जे काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है, जिनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

8. यह कि वादी का उक्त जमीन पर कोई कब्जा नही है, सम्वत् 2009 की लिखापढी, बिकावनामा अभी भी अपने अस्तित्व में है न तो वादी और न ही पूर्व के खातेदारो ने उक्त बिकावनामें को किसी सिविल न्यायालय से निरस्त करवाया है, सम्वत् 2009 से उक्त जमीन पर कब्जे काश्त होकर खेती करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

चले आ रहे है जिस कारण उक्त जमीन पर हम प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन स्वतः ही साबित होता है जिस आधार पर हम प्रतिवादीगणो ने आप न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रखा है, जो की वर्तमान में लम्बित है। अगर वादी को किसी भी तरह की कोई दाद चाहिये थी जो न्यायालय में पक्षकार बन कर भी आ सकता था, परन्तु वादी ने पूर्व के वाद के तथ्यो को छिपा कर आप न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है इस तरह झुठे तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किये गये वाद के आधार पर वादी हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकारी नही है, क्योकि दिनांक–14.04.2021 को वादी इन्दरलाल व शंकरदास वैष्णव मौके की जमीन पर आये और हम प्रतिवादीगण के साथ गाली गलोच कर डरा–धमका कर जबरन जमीन पर पत्थर डालने लगें और हमारे द्वारा इन्कार करने पर हमारे साथ मारपीट करने पर उतारू हुऐ जिस पर दिनांक–14.4.2021 को हम प्रतिवादीगणो ने पुलिस थाना घासा में रिपोर्ट दर्ज करवायी किन्तु पुलिस थाना घासा द्वारा कोई कार्यवाही नही करने की वजह से दिनांक–16.4.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय जी, उदयपुर के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया।

9. इन्दरलाल को अप्रेल माह में भी पता चल गया था कि उक्त जमीन पर वाद लम्बित है तथा पूर्व में भी पता था कि उक्त जमीन वादग्रस्त है फिर भी उक्त जमीन पर ओने–पोने दामो में खरीदने के लिये पूर्व के खातेदारो से विक्रय करवाया तथा वाद में झूठे तथ्यो के आधार वाद–पत्र प्रस्तुत स्थायी निषेधाज्ञा लेकर उक्त जमीन को हड़पना चाहता है, इस अवैध किया कृत्य हेतु न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादीगणो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है, पूर्व में भी वादी द्वारा इस तरह के भूमि व्यवहार किये जाते है, जिस हेतु पूर्व में भी मुकदमें दर्ज है।

10. यह कि दिनांक–15.08.2021 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। वादी न्यायालय को अंधेरे में रख कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसमें न तो पूर्व के वाद के बारे में बताया गया है न ही कोई न्यायालय से लम्बित वाद के दौरान प्रदान की जाने वाली विक्रय हेतु अनुमती प्राप्त की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

11. अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज फरमाया जावें व उक्त वर्णित आराजीयात से स्थायी निषेधाज्ञा हटवाई जावे।

12. प्रकरण तनकीयात कायमी के स्तर पर था परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा No Instruction प्लीड किया गया। स्वयं प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे हैं। जिससे प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादीगण मुझ वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रता पूर्वक अभिमत है कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 74 के अनुसार वादी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री इन्द्रमल पिता मोतीलाल परमार जैन निवासी घासा तह. घासा।

.....वादी

बनाम्

1. श्री दीपचन्द पिता नाथुलाल सुथार निवासी घासा तह. घासा।
2. श्री खुबीलाल पिता दीपचन्द सुथार निवासी घासा तह. घासा।
3. श्री बाबुलाल पिता दीपचन्द सुथार निवासी घासा तह. घासा।
4. श्री मुकेश पिता पन्नालाल सुथार निवासी घासा तह. घासा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 163/21 (वाद)

GCMS No. : 2021/313

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा बापेर पटवार हल्का घासा तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 4300 रकबा 0.3642 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:43:01 IST
Reason: SelfAttested